यह निरीक्षण प्रतिवेदन **परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार के माह 08/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰एन॰ यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी॰के॰ श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 23/09/2020 से 03/10/2020 तक श्री जे॰एम॰एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, स.ले.प.अ., श्री देवेंद्र दिवाकर, स.ले.प.अ. एवं श्री रवीद्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.08.2019 से 26.08.2019 तक निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2016 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई दारा बद्रीनाथ से हरिद्वार तक स्थापित STP के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं- (रु लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	10200	शून्य	शून्य	231.78	284.72	5870.35	6175.882	-	-
2019-20	10200	शून्य	शून्य	169.16	266.981	3607.28	5287.903	-	-
2020-21 (अगस्त तक)	10200	शून्य	शून्य	79.45	106.13	772.63	1448.898		

(व्यय अधिक होने का कारण NGP/NGPRA में 4% centage का जुड़ा होना है तथा 82MLD STP की धनराशि का भुगतान NMCG Delhi द्वारा होने के कारण आवंटन के सापेक्ष व्यय अधिक परिलक्षित हो रहा है।)

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (अगस्त तक)						

2. इकाई को बजट आवंटन योजनाओ हेतु स्थापित सिविल शाखाओ से एवं अधिष्ठान हेतु मुख्यालय से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ब'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड

प्रबंध निदेशक, जल निगम

मुख्य अभियंता, जल निगम

महा-प्रबन्धक, जल निगम

परियोजना प्रबन्धक, जल निगम

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **09/2019 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>**भाग- 2 (ब)**</u>

प्रस्तर: (1) - समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण से 04 कर्मचारियों को धनराशि ₹1.13 लाख के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार के अभिलेखों (सेवापुस्तिका एवं वेतन बिल पंजिका) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग में कार्यरत 04 अधिकारियों को समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि देकर वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

1. **श्री सतीश कुमार चौहान/पंप आपरेटर**
2. **श्री सुभाष चन्द्र/पंप आपरेटर**
3. **श्री अवनीश कुमार/पंप आपरेटर**
4. **श्री जसवंत सिंह/पंप आपरेटर**

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10 (3) के अनुसार- ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित <u>*वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।*</u>

उपरोक्त सभी कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओं की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि इन्होने 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से वेतन निर्धारण का विकल्प चुना था। जिसके आधार पर कार्यालय द्वारा 7वे वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण उक्त तिथि (01.01.2016) से किया गया। चूंकि दिनांक 22.07.2016 को (7वा वेतनमान लागू होने से पूर्व) इन कार्मिकों का ग्रेड वेतन 2400 से 2800 में उच्चिकृत हुआ था। जिसका लाभ 7वे वेतनमान में भी दिया जाना था। इसलिए कार्यालय द्वारा दिनांक 22.07.2016 को इन सभी कार्मिकों का 7वे वेतनमान में पुन: वेतन निर्धारण (लेवल 04 मूलवेतन 34300 से लेवल 05 में मूलवेतन 34900) किया गया। परंतु इसके बाद कार्यालय द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई वह 01.01.2017 को (मूलवेतन 35900) दी गई जो कि उपरोक्त नियम के अनुसार 01.07.2017 को दी जानी चाहिए थी। क्योंकि यह एक वित्तीय उन्नयन था।

उपरोक्त की वजह से ही कार्यालय द्वारा इन सभी कार्मिकों को वर्ष 2017 के बाद के वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ (01.01.2018, 01.01.2019 एवं 01.01.2020 को) भी समय से पहले दी गई। जो कि 01.07.2018, 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को दी जानी चाहिए थीं।

उक्त की वजह से इन सभी कार्मिकों को जो अधिक वेतन एवं भत्तो का भुगतान हुआ, उसकी गणना जब लेखापरीक्षा द्वारा की गई, तो पाया गया कि **इन सभी कार्मिकों में से प्रत्येक को धनराशि ₹28416/-का**

(सभी 04 कार्मिकों को कुल धनराशि=28416*4=₹113664/-) का अधिक भुगतान किया गया।(*संलग्नक-1 से 04)*

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि प्रकरण की जांच मुख्यालय से कराते हुए लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। खंड के उत्तर से स्वमं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अतः समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण से उपरोक्त सभी कार्मिकों को अधिक भुगतान किये गए वेतन एवं भत्तो की **कुल धनराशि ₹1.13 लाख** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञयान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

कार्मिक का नाम- श्री सतीश कुमार चौहान/पंप आपरेटर

(कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान की गणना कार्मिक की सेवापुस्तिका में की गई मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय से लागू डीए की दरों के आधार पर की गई है।)

डीए (%)	माह	कार्यालय के अनुसार किया गया भुगतान			लेखापरीक्षा के अनुसार किया जाने वाला भुगतान			अधिक भुगतान की राशि
		मूलवेतन	डीए	कुल	मूलवेतन	डीए	कुल	
4%	Jan-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Feb-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Mar-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Apr-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	May-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Jun-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
5%	Jul-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Aug-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Sep-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Oct-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Nov-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Dec-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
7%	Jan-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Feb-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Mar-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Apr-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	May-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Jun-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
9%	Jul-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Aug-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Sep-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Oct-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Nov-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Dec-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
12%	Jan-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Feb-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Mar-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Apr-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	May-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Jun-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
17%	Jul-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Aug-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Sep-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0

	Oct-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Nov-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Dec-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Jan-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Feb-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Mar-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Apr-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	May-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jun-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jul-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
	Aug-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
						कुल धनराशि		**28416**

संलग्नक-2

कार्मिक का नाम- श्री सुभाष चन्द्र/पंप आपरेटर

(कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान की गणना कार्मिक की सेवापुस्तिका में की गई मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय से लागू डीए की दरों के आधार पर की गई है।)

डीए (%)	माह	कार्यालय के अनुसार किया गया भुगतान			लेखापरीक्षा के अनुसार किया जाने वाला भुगतान			अधिक भुगतान की राशि
		मूलवेतन	डीए	कुल	मूलवेतन	डीए	कुल	
4%	Jan-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Feb-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Mar-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Apr-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	May-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Jun-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
5%	Jul-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Aug-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Sep-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Oct-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Nov-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Dec-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
7%	Jan-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Feb-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Mar-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Apr-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	May-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Jun-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
9%	Jul-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Aug-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Sep-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Oct-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Nov-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Dec-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
12%	Jan-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Feb-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Mar-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Apr-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	May-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Jun-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
17%	Jul-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Aug-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Sep-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0

	Oct-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Nov-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Dec-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Jan-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Feb-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Mar-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Apr-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	May-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jun-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jul-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
	Aug-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
						कुल धनराशि		**28416**

संलग्नक-3

कार्मिक का नाम- श्री अवनीश कुमार/पंप आपरेटर

(कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान की गणना कार्मिक की सेवापुस्तिका में की गई मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय से लागू डीए की दरों के आधार पर की गई है।)

डीए (%)	माह	कार्यालय के अनुसार किया गया भुगतान			लेखापरीक्षा के अनुसार किया जाने वाला भुगतान			अधिक भुगतान की राशि
		मूलवेतन	डीए	कुल	मूलवेतन	डीए	कुल	
4%	Jan-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Feb-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Mar-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Apr-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	May-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Jun-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
5%	Jul-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Aug-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Sep-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Oct-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Nov-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Dec-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
7%	Jan-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Feb-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Mar-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Apr-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	May-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Jun-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
9%	Jul-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Aug-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Sep-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Oct-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Nov-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Dec-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
12%	Jan-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Feb-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Mar-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Apr-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	May-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Jun-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
17%	Jul-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Aug-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Sep-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0

	Oct-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Nov-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Dec-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Jan-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Feb-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Mar-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Apr-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	May-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jun-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jul-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
	Aug-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
						कुल धनराशि		**28416**

संलग्नक-4

कार्मिक का नाम- श्री जसवंत सिंह/पंप आपरेटर

(कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान की गणना कार्मिक की सेवापुस्तिका में की गई मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय से लागू डीए की दरों के आधार पर की गई है।)

डीए (%)	माह	कार्यालय के अनुसार किया गया भुगतान			लेखापरीक्षा के अनुसार किया जाने वाला भुगतान			अधिक भुगतान की राशि
		मूलवेतन	डीए	कुल	मूलवेतन	डीए	कुल	
4%	Jan-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Feb-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Mar-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Apr-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	May-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
	Jun-17	35900	1436	37336	34900	1396	36296	1040
5%	Jul-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Aug-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Sep-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Oct-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Nov-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
	Dec-17	35900	1795	37695	35900	1795	37695	0
7%	Jan-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Feb-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Mar-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Apr-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	May-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
	Jun-18	37000	2590	39590	35900	2513	38413	1177
9%	Jul-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Aug-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Sep-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Oct-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Nov-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
	Dec-18	37000	3330	40330	37000	3330	40330	0
12%	Jan-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Feb-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Mar-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Apr-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	May-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
	Jun-19	38100	4572	42672	37000	4440	41440	1232
17%	Jul-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Aug-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Sep-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0

	Oct-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Nov-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Dec-19	38100	6477	44577	38100	6477	44577	0
	Jan-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Feb-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Mar-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Apr-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	May-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jun-20	39200	6664	45864	38100	6477	44577	1287
	Jul-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
	Aug-20	39200	6664	45864	39200	6664	45864	0
						कुल धनराशि		**28416**

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर: (2) - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹3.99 लाख का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले ब्याज की हानि हो रही है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल 11 कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि ₹399097/- का कम भुगतान किया गया।** <u>(सभी 11 कार्मिकों के कम भुगतान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 01 से 03)</u>

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वतः ही लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: <u>अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम भुगतान की गई धनराशि ₹3.99 लाख</u> का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 : इकाई के अंतर्गत रु 55.00 करोड़ व्यय के उपरांत भी 07 एसटीपी का अनुबंधित तिथि के 06 माह से 16 माह बाद भी अपूर्ण रहना।

इकाई के अंतर्गत केन्द्रपोषित योजना नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2017-18 से वर्ष 2019-20 के मध्य कुल 07 STPs के construction/upgradation/ Operation & maintenance किए जाने हेतु कुल 07 अनुबन्धो (संलग्नकानुसार) का गठन किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 मे गठित अनुबन्धो के कार्य समाप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि फरवरी 2019 से नवंबर 2019 के मध्य थी।

पारियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (सितंबर 2020) मे पाया गया कि उपरोक्त योजनाओ के सापेक्ष यांत्रिक कार्यो हेतु कुल रु 196.71 करोड़ का प्रविधान/ स्वीकृति प्रदान किया गया था जिसमे रु 65.04 करोड़ construction/upgradation के कार्य हेतु एवं रु 131.67 करोड़ O&M कार्य हेतु थे जिसके सापेक्ष construction/upgradation कार्य मे रु 55.00 करोड़ एवं O&M मद मे रु 59.50 लाख व्यय किए गए थे। उक्त व्यय के उपरांत भी अनुबंध मे निर्धारित तिथि के 06 माह से 16 माह बाद भी कार्य अपूर्ण थे।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्पष्ट कारण न देते हुये उत्तर मे बताया गया कि विभिन्न कारणो से उक्त अनुबन्धो के कार्यो मे विलंब हुआ जिस हेतु सक्षम अधिकारी से समयावृद्धि प्राप्त कर ली गयी है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा सिर्फ 04 STPs से संबन्धित समयावृद्धि से संबन्धित साक्ष्य दिये गए जिसकी निर्धारित समय सीमा को भी समाप्त हुये 02 से 08 माह हो चुके है। जबकि अनुबंध के अनुसार निर्धारित तिथि के 06 माह से 16 माह व्यतीत हो चुके थे, के बाद भी कार्य अपूर्ण रहने से सीवर ट्रीटमेंट जैसे महत्वपूर्ण प्लांट का संचालन वर्तमान तक नहीं किया जा सका, का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर–4 100 के0वी0ए0 के स्थानपर 125 के0वी0ए0 क्षमता लागत रू0 84.60 लाख के डी0जी0 सैट क्रय करने के कारण डीजल की खपत पर लम्बे समय तक विभाग पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ना।

परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिक), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2020) में पाया गया कि इकाई द्वारा अनुबन्ध संख्या 11/जी0एम0/2017–18 दिनांक 23.09.2017 के अन्तर्गत अन्य मदों के साथ ही 100 के0वी0ए0 के डीजल जनरेटर सैटों (डी0जी0सेट) की आपूर्ति एवं अवस्थापना की जानी थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वास्तविक रूप से इकाई द्वारा 100 के0वी0ए0 के 6 डीजल जनरेटर सैटों के स्थान पर 125 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैटा की आपूर्ति की गयी थी। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा इंगित किया गया कि 125 के0वी0ए0डी0जी0 सेट की आपूर्ति इसलिये की गयी है क्योकि निर्माता फर्म द्वारा 100 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैटों की आपूर्ति के लिये अधिक समय लगता, इसके अतिरिक्त 125 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैट लगभग समान मात्रा में डीजल की खपत करेगा। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नही था क्योकि समय पर 100 के0वी0ए0 के डीजल जनरेटर सैट उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी साथ ही यह कहना कि 125 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैट लगभग समान मात्रा में डीजल खपत करेगा विरोधाभासी था क्योकि अनुबन्ध के साथ संलग्न Technical Data (Generator Set Specifications) के अनुसार 100 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैट पर प्रति घण्टे 18.4 लीटर डीजल की खपत होती है जबकि 125 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैट पर प्रति घण्टे 22.4 लीटर डीजल की खपत होती है। इससे स्पष्ट था कि प्रति घण्टे 1 डीजल जनरेटर सैट पर 4 लीटर डीजल की अधिक खपत होगी। अर्थात 6 डीजल जनरेटर सैटो पर प्रति घण्ट 06 × 4 लीटर = 24 लीटर अधिक डीजल की खपत होने से इनकार नही किया जा सकता जो लम्बे समय तक विभाग के उपर एक अतिरिक्त व्यय का कारण बनेगा। इकाई द्वारा स्थापित किये गये उपरोक्त डीजल जनरेटर सैटो पर डीजल खपत एवं कुल किया गया भुगतान का विवरण भी उपलब्ध नही कराया गया।

अतः 100 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैट के स्थान पर 125 के0वी0ए0 डीजल जनरेटर सैट लागत मूल्य रू0 8460000.00 (रू0 1410000.00 × 06 डी0जी0सैट =रू 8460000.00) मूल्य की विशिष्टियों में बदलाव कर आपूर्ति/स्थापित किये जाने के कारण लम्बे समय तक अधिक डीजल खपत होने से विभाग पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
90/2014-15	01	-
82/2019-20	-	01, 02

<u>**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**</u>

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग –II(अ)	भाग –II (ब)			
90/2014-15	01	--	अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई है।	शून्य	शून्य
82/2019-20	--	01, 02			

<u>**भाग-IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………Nil………………………………………………………….

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः माप पुस्तिका सं॰ - 64L, 50L, 36L, 58L, 53L, 66L, 43L, 45L, 15L, 57L & 28L .**

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री सचिन कुमार	परियोजना प्रबन्धक	01.12.2018 से वर्तमान तक

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**
लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)